L. A. BILL No. LIX OF 2023.

A BILL

TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT AND INCORPORATION OF A STATE BOARD TO REGULATE MATTERS PERTAINING TO DIPLOMA LEVEL ART EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA, REGARDING AFFILIATION OF ART INSTITUTES AND COURSES OF STUDY THEREIN AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५९ सन् २०२३।

महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा से संबंधित विनियमित मामलों को और कला संस्थाओं और उनमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों को सहबद्धता देने संबंधि मामलों में राज्य बोर्ड की स्थापना और विनियमन करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर कला कला शिक्षा सें संबंधित विनियमित मामलों को और कला संस्थाओं और उनमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों को सहब्दता देने संबंधी मामलों में राज्य बोर्ड की स्थापना और

विनियमन करने तथा उससे संबंधित या उससे अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर है ; एसलिए, भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होंगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,—

(क) " सहबद्ध संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जिसको बोर्ड द्वारा सहबद्धता अनुदत्त की गई है ;

(ख) " नियत दिनांक " का तात्पर्य, वह दिनांक जिसपर धारा १ से अन्यथा इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(ग) " कला " का तात्पर्य, विशुद्ध कला, दृश्य कला और केवल संगीत से सीमित प्रदर्शन कला समेत ललित कला से है ;

(घ) " डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या अग्रवर्ती डिप्लोमा स्तर ललित कला या केवल संगीत से सीमित प्रदर्शन कला या ऐसी अन्य कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐसी कला शिक्षा जिसमें माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, केवल संगीत से सीमित दृश्य या प्रदर्शन कला डिप्लोमा शिक्षा अपनाई जाती है ;

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "कला शिक्षा " अभिव्यक्ति में विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, यथा घोषित अनुप्रयुक्त कला, मूर्तिकला, रेखाचित्र और चित्रकला, कला और शिल्प तथा अध्यापक प्रशिक्षण में डिप्लोमा स्तर शिक्षा कार्यक्रम भी सम्मिलित है ;

(ङ) " कला महाविद्यालय या कला संस्था ", का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त काल शिक्षा में डिप्लोमा या स्नातकोत्तर पोस्ट डिप्लोमा या अग्रवर्ती डिप्लोमा प्रदान करनेवाला महाविद्यालय या कोई संस्था, से है ;

(च) " स्वायत्तता " का तात्पर्य, अकादमिक कार्यक्रम परीक्षा और मूल्यांकण करने की अनुमति किसी संस्था पर प्रदत्त बोर्ड के विशेषाधिकार से है ;

(छ) " स्वायत्त संस्था " का तात्पर्य, कोई संस्था जिसको धारा ३३ के अधीन स्वायत्तता प्रदान की गई है ;

(ज) " बोर्ड " का तात्पर्य, धारा ५३ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड, से है ;

(झ) " उप-विधि " का तात्पर्य, धारा ५२ के अधीन बोर्ड द्वारा किये गए उप-विधियों से है ;

(ञ) " निदेशक " का तात्पर्य, धारा २२ (१) के अधीन नियुक्त महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड, से है ;

(ट) " परीक्षा " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं से है ;

(ठ) " फीस या फीस " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट या जैसे विनिर्दिष्ट की जाए, शैक्षणिक फीस, परीक्षा फीस संबद्धता फीस या कोई अन्य फीस, से है ;

(ड़) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ढ़) " शासी परिषद " का तात्पर्य, बोर्ड की शासी परिषद, से है ;

(ण) " संस्था का प्रमुख " या " प्राचार्य " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा प्रदान करनेवाली कला संस्था के अध्यापक कर्मचारीवृंद के प्रमुख, से है ;

सन् १९५० का २९ ।
सन् १८६० का २१ ।
सन् २०२३ का १८ ।

(त) " प्रबंधमंडल " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास के या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी के प्रबंधन के अधीन जिसके एक या अधिक संस्थाएँ, बोर्ड के विशेषाधिकारों से आयोजित तथा प्रवेशित है, न्यासी या प्रबंधन या शासी निकाय चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, से है ;

(थ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन किये गए विनियमों द्वारा विहित से है ;

(द) " प्रदेश " का तात्पर्य, की अनुसूचि में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रदेशों में समावेशित क्षेत्र, से है ;

(ध) " प्रादेशिक कार्यालय " का तात्पर्य, संबंधित प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कार्यालय, से है ;

(न) " विनियमन " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किये गए विनियमों से है ;

(प) " विनियामक प्राधिकरण " का तात्पर्य, संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या निकाय जिसका अनुमोदन डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा संस्था या पाठ्यक्रमों को शुरु करने के लिए आवश्यक है और जो उससे संबंधित मामलों की विनियमित करने के लिए प्राधिकृत किया है और जिसमें बोर्ड सम्मिलित से है ;

(फ) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम की अनुसूचि से है ;

(ब) " अध्यापक " का तात्पर्य, बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त के अध्यापक कर्मचारीवृंद (संस्था के प्राचार्य या प्रमुख से अन्य) के सदस्य, से है।

अध्याय दो ।

शासी परिषद की स्थापना, शक्तियाँ और कर्तव्य ।

शासी परिषद की स्थापना ।

३. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा शासी परिषद की स्थापना करेगी जो बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा और परिक्षा से संबंधित मामलों का नियंत्रण और मानीटर करनेवाला एक शिखर निकाय होगा ।

(२) शासी परिषद, निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क)	मंत्री, उच्चतर तथा तकनिकी शिक्षा विभाग,	अध्यक्ष ;
(ख)	राज्यमंत्री, उच्चतर तथा तकनिकी शिक्षा विभाग,	उपाध्यक्ष ;
(ग)	उच्चतर तथा तकनिकी शिक्षा विभाग के सचिव या उनके नामिति	सदस्य ;
(घ)	कला निदेशालय के निदेशक,	सदस्य ;
(ड़)	महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड के निदेशक	पदेन सदस्य-सचिव ;
(च)	कला निदेशालय के उप-निदेशक (प्रशासन)	सदस्य ;
(छ)	कला निदेशालय के उप-निदेशक (कला शिक्षा)	सदस्य ;
(ज)	जिसमें कम से कम एक महिला होगी और एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति या खानानदोष जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों या विशेष पिछड़े प्रवर्गों का होगा ;	

(३) **पदेन** सदस्यों से अन्य व्यक्तियों के नाम, जो शासी परिषद के सदस्य के रुप में समय-समय पर नामनिर्देशित किये गए है, सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किए जायेंगे।

(४) शासी परिषद के नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि, राज्य सरकार द्वारा जब तक पहले समाप्त नहीं की जाती तब तक पाँच वर्ष की अवधि होगी।

(५) शासी परिषद की प्रत्येक वर्ष में दो से अनिम्न बैठकें होंगी और दो लगातर बैठकों के बीच में छह महिने से अनधिक अवधि होगी।

(६) नामनिर्देशित सदस्य को, ऐसा भत्ता प्राप्त होगा जिसे सरकार द्वारा बैठक में उपस्थित रहने के लिए निर्धारित किया जायेगा।

शासी परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य।

४. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, शासी परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य यथा निम्न होगी, अर्थात् :—

(क) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर कार्य करना और कार्यान्वयन के लिए बोर्ड की सिफारशों और निर्णयों को अनुमोदन देना ;

(ख) संबंधित उद्योग के साथ परामर्श में संदर्शी विकास योजना तैयार करना ;

(ग) नियमित और ऐसे अन्तराल पर जिसे शासी परिषद उचित समझे बोर्ड के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने के लिये सरकार को सिफारिश करेगी ;

(घ) संस्थानों की प्रत्यायन नीति का विनिश्चिय करना ;

(ङ) बोर्ड द्वारा विर्दिष्ट किये गये वित्तीय मामलों संबंधित शक्तियों का प्रयोग करना ;

(च) बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए बजट को अनुमोदन देना ;

(छ) सरकार द्वारा, समय-समय पर लिये गये अलग-अलग नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड को निर्देश देना ;

(ज) बोर्ड के अधीन संस्थानों के उचित व्यवहार, कामकाज वित्त व्यवस्था से संबंधित किन्ही मामलों के संबंध में कोई जाँच करने के लिये सरकार को सिफारिश करना।

अध्याय तीन ।

बोर्ड की स्थापना, निगमन, शक्तियाँ और कर्तव्य ।

बोर्ड की स्थापना ।

५. (१) सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड नामक बोर्ड स्थापित करेगी ।

(२) बोर्ड निम्नों से मिलकर बनेगी, अर्थात्

(क)	निदेशक, कला निदेशक	अध्यक्ष ;
(ख)	सरकार, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव या उप-सचिव या उसका नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य ;
(ग)	महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामनिर्देशिती जो प्रभागिय बोर्ड के अध्यक्ष के श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के है ...	पदेन सदस्य ;

(घ) उद्योग निदेशक, महाराष्ट्र राज्य या उसका नामनर्देशिती जो संयुक्त श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के है ... — पदेन सदस्य ;

(ड़) निदेशक, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड ... — सदस्य ;

(च) सचिव, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड ... — सदस्य-सचिव ;

(छ) राज्य में सरकारी कला महाविद्यालयों से एक वरिष्ठतम प्राचार्य, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा ... — सदस्य ;

(ज) कला संस्थानों के प्राचार्यों या प्रमुखों में दो सदस्य, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कला संस्थानो से प्रत्येकी एक सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा ... — सदस्य ;

(झ) अध्यापको में से दो सदस्य, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कला संस्थानों से प्रत्येकी एक सदस्य जिनमें से कम से कम एक पिछडा वर्ग समुदाय से होगा, जिसे सरकार द्वारा नामित किया जायेगा ... — सदस्य ;

(ञ) केवल संगित तक सीमित दृश्य या प्रदर्शन कला के पेशेवर क्षेत्र से दो सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जायेगा ... — सदस्य और ;

(ट) उद्योग संघों में से चार सदस्य जो लघु उद्योग के उघमी है जो सूचना प्रौद्योगिकी, संग्रहालय और विज्ञापन अभिकरणों, प्रतिष्ठित कला दीर्घाओं, रत्न और आभूषण, कपडा या सिरेमिक उद्योग को सरकार द्वारा नामित किया जायेगा ... — सदस्य ;

(३) कोई व्यक्ति, बोर्ड के सदस्य के रूप में पद धारणा करना बंद करेगा जैसा ही वह उस पद, पदनाम या, यथास्थिति, कार्यालय धारण करना बंद करेगा, जैसा भी मामला हो, जिसके आधार पर, इस प्रकार नियुक्त किया गया है और ऐसा व्यक्ति सूचित करेगा कि अध्यक्ष को उसके एक सप्ताह के भीतर बोर्ड का सदस्य बने रहने की लिखित सूचना देगी ।

(४) पदेन सदस्यों से अन्य व्यक्तियों के नाम, जिन्हे समय-समय पर, बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किया जायेगा ।

६. (१) धारा ५ के अधीन स्थापित बोर्ड का शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी एक निगमित निकाय होगा और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन करने, धारण करने तथा व्ययन करने और संविदा करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किये जाने के लिए आवश्यक समस्त कार्य करेगा तथा अपने निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा । बोर्ड का निगमन।

७. बोर्ड के उद्देश्य सामान्यातः अध्यापन, अनुसंधान विस्तार तथा सेवा द्वारा प्रसार, सृजन और संरक्षण और ज्ञान तथा विशेष रूप से उसके उद्देश्य,— बोर्ड के उद्देश्य ।

(क) डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा क्रियाकलापों पर्यवेक्षण, मानिटरिंग, विनियमित करना तथा उसके विकास के लिए सहयोग देना ;

(ख) परिक्षाओं का आयोजन करना और जिसे बोर्ड अवधारित करे ऐसे शर्तों के अध्यधीन व्यक्ति को डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों या पदनाम प्रदत्त करना तथा विहित रीत्या में ऐसे डिप्लोमा या अन्य विद्यासंबंधी विशेष उपाधियाँ या पदनाम वापस लेना या रद्द करना ;

(ग) अनुदेश, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास और विस्तार द्वारा तथा बोर्ड जिसे ठीक समझे ऐसे अन्य अर्थो में द्वारा डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा के विकास के लिए सुविधाओं का उपबंध करना तथा अवसर प्रदान करना ;

(घ) डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा के कार्यक्रम जो संस्था विद्यमान आवश्यकताओं से सुसंगत है और जो प्रत्याशित बदलावें और विकास के लिए जिम्मेदार है, की योजना तैयार करना तथा उसका कार्यान्वयन करना ;

(ङ) डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा में ज्ञान की अधिक उन्नति करने, और समाज की प्रगति के लिए उस वहीं पर गतिशिलता लाना ;

(च) विद्यासंबंधी और अनुसंधान समुदाय के बीच प्रोत्साहक सहकारिता और विचारों के लेन देन के लिए तथा औद्योगिक और सरकारी प्रवर्तक के जिम्मे तथा छात्रों के बीच उद्योग उपक्रम का बढ़ावा देने के लिए केंद्र के रूप में सेवा देना ;

(छ) डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा की सुविधाओं के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना और अध्ययनरत संस्था के लिए समुचित आधुनिक संसूचना माध्यम और प्रौद्योगिकी के उपयोग से डिप्लोमा शिक्षा आंतरजाल का विकास करना ;

(ज) अध्यापन अनुसंधान और विस्तार के पर्याप्त और जिम्मेवार प्रशासन, वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए उपबंध करना तथा उसके संगठन का विकास करना ;

(झ) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रम हाथ में लेने द्वारा वित्तीय स्व-पर्याप्तता निर्माण करना ;

(त्र) विभिन्न राज्य प्राधिकरणों और संस्थाओं के बीच बेहतर पारस्परिक व्यवहार और सहयोग को बढ़ावा देना ;

(ट) सभी शैक्षणिक और छात्रों से संबंधित अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक मानदण्डो के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता और उत्कृष्ठता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना ;

(ठ) पाठ्यक्रम का विकास करना या पाठ्यक्रम का पुनरीक्षग करना ताकि उद्योग की जरुरतों की पूर्ति और प्रौद्योगिकी में तरक्की का निगमन करना ;

(ड़) पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा आवश्यक अध्ययन स्त्रोंतों का विकास करने के लिए और अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण का उपबंध करने के लिए योजना तैयार करना ;

(ढ) शैक्षणिक कार्यक्रमों, अन्य क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना और अध्ययन और अनुसंधान का निष्पादन करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों को प्रदान करना ;

(ण) कला शिक्षा और उनके डिप्लोमा स्तर के आंतर-अनुशासनिक अध्ययन में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता और कौशल्यों का उपबंध करना ;

(त) कला शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबंध करना तथा अनुसंधान के लिए प्रावधान बनाना ;

(थ) डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा में मजबूती तथा नवपरिवर्तन के लिए उत्कर्षता केंद्र का निर्माण करना ;

(द) नवपरिवर्तक दृष्टीकोन के साथ नए तथा आनेवाले क्षेत्र में, कला शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों को शुरु करना ;

(ध) शैक्षिक संरचना, अध्ययन समय-सीमा में तथा सर्जनात्मकता और उद्यमीता के पालनपोषण तथा संरक्षण के लिए निरंतर मुल्यांकन प्रक्रिया में सीवनाहितता के निर्माण के लिए नवपरिवर्तक दृष्टिकोन की स्थापना करना ;

(न) मुख्य विषय क्षेत्रों में या उद्योग जरूरतों में, निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें मार्गदर्शन देना ;

(प) किसी सम्पति उसके हित या अधिकार का अर्जन, धारण, अंतरण या निपटान करना और प्रभावी कार्य के लिए उसका प्रबंध या उसका निपटान करना ;

(फ) देश के भीतर या बाहर सहबद्ध संस्थाओं, परीक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों, सरकारी शैक्षणिक निकायों, निदेशालयों और सरकारी विभागों आदि के लिए कला शैक्षिक क्रियाकलापों को अग्रसर करने के लिए सलाहकारी, संबद्धता और सहायक सेवाओं का उपबंध करना तथा अर्जन करना ।

बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य ।

८. इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन बोर्ड की निम्न शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे अर्थात् :—

(क) सामान्यतः डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा से सम्बन्धित नीतिगत मामलों पर और विशेष रुप से निम्न मामलों पर शासी परिषद और सरकार को परामर्श देना, अर्थात् :—

(एक) डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा में राष्ट्रीय नीति और राज्य की नीतियों के बीच समन्वय रखना ;

(दो) माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक शिक्षा और डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा में समन्वय रखना ;

(तीन) डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा का एकसमान स्तर बनाए रखना ;

(चार) उद्योग और संस्थान के पारस्परिक प्रभाव को बढावा देना ;

(ख) पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण के अवधारण के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिकथित करना और साथ में नियमित, मध्य, अंशकालिक पाठ्यक्रम, वार्षिक, अर्धवार्षिक आदि जैसे सभी प्रवर्ग के डिप्लोमा स्तर शिक्षा के लिए विस्तार में पाठ्यक्रम और पाठ्य-विवरण तैयार करना ;

(ग) डिप्लोमा स्तर की कला संस्थाओं के लिए आवश्यक कर्मचारी, भवन, फर्नीचर, उपकरण, लेखन सामग्री और अन्य सामान के बाबत मानक अपेक्षा विहित करना और विनियमित करना ;

(घ) डिप्लोमा स्तर कला पाठ्यक्रमों के लिए, किसी पुस्तक को पाठ्यपुस्तक और संदर्भ पुस्तक के रूप में विहित करना और विकसित करना या कोई पुस्तक और मुद्रित या अमुद्रित सामग्री तयार करना या तैयार करवाना या किसी प्रकार की पठनीय सामग्री किसी अन्य अधिकरण के साथ मिलकर सीधे या सहयोग में प्रकाशित करना ;

(ङ) परीक्षाओं में नियमित उम्मीदवारों के प्रवेश को अनुशासित करनेवाली साधारण शर्ते विहित करना और पात्रता, उपस्थिति, मिआदी-कार्य और चरित्र संबंधी शर्ते विनिर्दिष्ट करना, जिनकी पूर्ति पर ही उम्मीदवार को ऐसी किसी परीक्षा में प्रवेश पाने और बैठने का अधिकार होगा ;

(च) डिप्लोमा की अंतिम परीक्षा या बोर्ड द्वारा की जानेवाली अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र देना ;

(छ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, वृत्तिका, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रतिफल संस्थित करना और देना और साथ में उनकी शर्ते विहित करना ;

(ज) किसी संपत्ति या उसके हितों या उसके अधिकारों की वसीयत, दान, विन्यास, न्यास और अन्य अंतरण प्राप्त करना ;

(झ) उपर्युक्त खंण्ड (ज) में उल्लिखित कोई संपत्ति, हित या अधिकार धारण करना और उनका प्रबंध और निपटान करना ;

(ञ) ऐसी फीस और शास्तियों की माँग करना, उन्हें नियत करना और प्राप्त करना जैसा कि विहित किया जायें ;

(ट) बोर्ड के मान्यताप्राप्त कार्यालयों से विशेष रिपोर्ट और जानकारी मंगाना, और किसी डिप्लोमा स्तर कला संस्थान से कोई जानकारी मंगाना, डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा में अकादमिक मानक बनाए रखना और सुधार को सुनिश्चित करने के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता देना ;

(ठ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना और उनके निवास तथा अनुशासन की शर्तों को विहित करना ;

(ड) बोर्ड से संबंधित वार्षिक वित्तिय विवरण अनुमोदित करना और वार्षिक बजट की मंजूरी के लिए सरकार को सिफारिश करना ;

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी के कार्य की सामान्यत: जाँच तथा पर्यवेक्षण करना और उनके अध्यापन लेखा खाते की कालिकत: जाँच करना ;

(त) किसी अभिकरण से पाठ्यक्रम, अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया, और परीक्षा डिजाईन, विकास कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये सांख्यिकीय और अन्य अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्यक्रम करना ;

(थ) ऐसी समिति नियुक्त करना जिसे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ;

(द) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ विनियम बनाना ;

(ध) बोर्ड, उसकी समितियों द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया और केवल बोर्ड और उसकी समितियों से संबंधित किन्ही अन्य मामलों जैसे मामलों से संबंधित उप-विधि बनाना जिनका इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित विनियमों द्वारा या के अधीन उपबंध नहीं किया गया है ;

(न) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जाये ;

(प) संस्थाओं को शैक्षणिक स्वायत्तता अनुदत्त करने के लिए, पुनर्विलोकन या अनुदत्त स्वायत्तता प्रतिसंहृत करने के लिए विनियम बनाना ;

(फ) राज्य में डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा के उन्नयन, विस्तार, विकास के लिए और डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा का स्तर बनाये और सुधार करने के लिए ऐसे सभी कार्य करना, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पाने के लिए आवश्यक हो ;

(ब) कला संस्थाओं को संबद्धता, प्रत्ययन, स्वायत्तता, समतुल्यता, योग्यता प्रदान करने और संबद्धता या प्रत्ययन या समतुल्यता या स्वायत्तता या योग्यता का पुनर्विलोकन या प्रतिसंहरण करने के लिए विनियम बनाना ;

(भ) परीक्षा में प्रवेश दिये गये विद्यार्थियों, संबद्धता, प्रत्ययन, स्वायत्तता, समतुल्यता प्रदान करने के लिए विहित की जाए ऐसी फीस की मांग करना और उसे प्राप्त करना ;

(म) बोर्ड की परिक्षायें संचालित करना ;

(यक) परीक्षाओं के संचालन, उम्मीदवारों के काम का निर्धारण और परिणामों के संकलन और मोचन के लिए पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों, पर्यवेक्षकों और अन्य आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति करना ;

(यख) विनियमों के अनुसार परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश देना ;

(यग) अपने द्वारा संचालित परिक्षाओं के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर केंद्र खोलना ;

(यघ) संचालित परीक्षाओं में बैठनवाले उम्मीदवारों के परिणाम ऐसे दिनांक या दिनाकों को घोषित करना जैसा कि नियत किया जाये ;

(यङ) गुणागुण के अनुसार उम्मीदवारों की सूचि बनाना ;

(यच) अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों का निपटाना करना ;

(यछ) सामान्यत: अंतिम परीक्षा सहित डिप्लोमा स्तर के कला संस्था की अंतिम परीक्षाओं में छात्रों और संस्था के कार्यों का मूल्यांकन करना ;

(यज) मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित उसी प्रयोजन के लिए गठित संबंधित समिति से विशेष रिपोर्ट और जानकारी मंगाना और मान्यताप्राप्त किन्तु अपेक्षित शैक्षणिक स्तर न बनाए रखनेवाली शिक्षा संस्था के सम्बन्धित समिति से जानकारी मंगाना तथा खराब शैक्षणिक परिणामों और गंभीर शैक्षणिक अनियमितता के मामलों में, सरकार के उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक आदेश के अधीन अनुदत्त ऐसी मान्यता वापस लेने के लिए बोर्ड से सिफारिश करना ;

(यझ) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त आवश्यक संस्थाओं की, परीक्षाओं के संचालन में उनके सहयोग को बढाना और ऐसी किसी संस्था से जो, परीक्षायें संचालित करने के लिए अपेक्षित सुविधायें उन्हें देने में असमर्थ रहती है, उन्हें यह कारण बताने का कि ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाए, युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किसी संस्था से बोर्ड के, विशेषाधिकार वापस ले लेना ।

(यञ) बोर्ड के कार्यालयिन कामकाज के लिए या प्रादेशिक कार्यालयीन कामकाज के लिए, आवश्यक है ऐसी कोई संपत्ति या सुविधायें सृजित करना या का स्वामित्व लेना या धारण करना या किराये पर लेना।

(यट) शैक्षणिक कार्य की योजना करना और पर्यवेक्षण करना ;

(यठ) आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रमों, स्व-रोजगार के लिये विशेष पाठ्यक्रमों, ग्रामिण, वंचित व्यक्तियों और महिलाओं के लिये पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव रखना ;

(यड़) पात्र संस्थाओं को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव रखना ;

(यढ) ऐसी संस्थान से पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, आदर्श संस्थान या उत्कर्षता केन्द्र के रूप में सरकारी संस्थान को उन्नत करना ;

(यण) सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा सम्बद्ध पाठ्यक्रमों के लिये फीस के नियतन के विनियम या सम्बद्ध संस्था द्वारा उसके संग्रहन तथा तत्संबंधी या उसके अनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना।

बोर्ड के सदस्यों का पदावधि और भत्ते।

९. (१) पदेन सदस्य से अन्य बोर्ड के सदस्य **राजपत्र** में अपने नाम प्रकाशित होने के दिनांक से ती वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे।

(२) निवृत हो जानेवाले सदस्यों की पदावधि जिस दिनांक को उनके उत्तराधिकारी के नाम **राजपत्र** में प्रकाशित किए जाते है उस दिनांक के सद्य पूर्ववर्ती दिन तक होगी और अवसित होगी।

(३) सदस्य ऐसे क्षतिपूर्ति भत्तों के हकदार होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की निरर्हता।

१०. कोई भी व्यक्ति, बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त, या नामनिर्देशित होने या बने रहने से अनर्ह होगा,—

(क) यदि, वह प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: स्वयं या अपने भागीदार के ज़रिये बोर्ड द्वारा कृत किसी कार्य में या बोर्ड की ओर से की गई किसी संविदा में कोई हिस्सा या हित रखता है ;

(ख) यदि वह ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा १३ के अधीन पद से हटाने का आदेश बनाया गया है ;

परन्तु, ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश बनाया गया है, इस खंड के अधीन निरर्ह हुआ नहीं समझा जायेगा, यदि उसे पद से हटाये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष या ऐसी कम अवधि, जिसे सरकार विनिर्दिष्ट करे, समाप्त हो चुकी है।

आकस्मिक रिक्तियाँ।

११. बोर्ड के सदस्यों के बीच या बोर्ड द्वारा गठित शासी परिषद या किसी समिति में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ नामनिर्देशित या, यथास्थिति, नियुक्ति द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जायेगी ; और आकस्मिक रिक्ति में नामनिर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति सदस्य के रूप में तब तक ही पद धारण करेगा जब तक यदि रिक्ति नहीं हुई तो वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट या नियुक्त हुआ है, उसे धारण करता।

सदस्य का पदत्याग।

१२. पदेन सदस्य को छोडकर शासी परिषद या बोर्ड का सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में अपना, त्यागपत्र प्रस्तुत करके किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकता है : और ऐसे सदस्य ने, अध्यक्ष उसका त्यागपत्र स्वीकार करते ही अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

सदस्य को हटाना।

१३. (१) सरकार, बोर्ड आदेश द्वारा शासी परिषद या की सिफारिश पर, और ऐसी आगे जाँच करने के बाद, जिसे करना वह उचित समझे, बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकेगी, यदि ऐसा सदस्य,—

(क) न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शासी परिषदे और बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्यों के लिए अहितकर कार्य करता है :

परंतु, शासी परिषद या बोर्ड द्वारा खण्ड (घ) के अधीन तब तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की जायेगी या ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा जब तक उसे ऐसा कारण देने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता कि ऐसी सिफारिश क्यों न की जाय या ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(२) सरकार, **स्वप्रेरणा** से आदेश द्वारा, शासी परिषद या बोर्ड या किसी समिति के नामित या नियुक्त, किसी भी सदस्य को हटा सकेगी जिसकी गतिविधियाँ सरकार की राय में बोर्ड या उसकी किसी समिति के कार्य को उचित रूप से करने के लिए अहितकर या बाध्यकर है :

परंतु, कोई भी सदस्य, पद से तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे यह कारण देने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता कि उसके विरुद्ध ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये।

(३) उप-धारा (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासी परिषद या बोर्ड का नामित सदस्य, सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और सरकार द्वारा, उसे किसी भी समय, यदि वह उचित समझें, हटाया जायेगा।

बोर्ड की बैठकें।

१४. (१) बोर्ड प्रत्येक वर्ष में कम से कम चार बैठकें लेगा और दो क्रमवर्ती बैंठकों के बीच तीन महीने का अंतर नहीं होगा।

(२) बोर्ड का अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि अत्यावश्यकता की ऐसी मांग हो और बोर्ड के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अनून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, अध्यक्ष द्वारा ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर, बोर्ड की विशेष बैठक बुलायेगा।

निरर्हता के कारण अध्यक्ष या सदस्य की रीक्ति।

१५. यदि बोर्ड या उसकी किसी समिति का अध्यक्ष या सदस्य, धारा १० में उल्लिखित किसी निरर्हता में आता है, तो तदुपरांत उसका पद सरकार द्वारा रिक्त घोषित किया जायेगा।

१६. यदि, बोर्ड के नामनिर्देशित या नियुक्त कोई सदस्य बोर्ड की अनुमति लिये बिना उसकी तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो तदुपरांत उसका पद रिक्त होगा और अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार घोषित किया जायेगा। अनुमति के बिना अनुपस्थिति के कारण सदस्य की रिक्ति।

१७. यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद धारा १५ या १६ के अधीन रिक्त हुआ है या नहीं तो यह मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। रिक्ति के प्रश्न पर निर्णय।

१८. शासी परिषद या बोर्ड या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति थी या ऐसे शासी परिषद या बोर्ड या समिति के गठन में कोई त्रुटि थी। रिक्ति होने या गठन में त्रुटि होने के कारण कोई कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगीं।

१९. शासी परिषद या बोर्ड, अपनी बैठक में या समिति में उपस्थित होने के लिए किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में कला शिक्षा के क्षेत्र में का विशेषज्ञ है, या सरकार के किसी अधिकारी को आमंत्रित कर सकेगा यदि वह विषय जिससे विशेषज्ञ या अधिकारी सम्बन्धित है, ऐसी बैठक में चर्चा या विचार के लिए आनेवाला है या आया है। बैठक में विशेषज्ञों और अधिकारियों को आमंत्रित करने की शक्ति।

२०. (१) बोर्ड, निम्न समितियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :— समितियों का गठन।

(क) अकादमिक समिति ;

(ख) वित्त समिति ;

(ग) पाठ्यक्रम समितियाँ ;

(घ) समकक्ष समितियाँ ;

(ङ) परीक्षा समिति ;

(च) फीस नियतन समितियाँ ।

(२) बोर्ड, ऐसी अन्य समितियों से मिलकर बनेगा जिसे वह उसके कृत्यों के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक समझे।

(३) बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समितियों के सदस्य की संख्या, उनके सदस्यों का पदावधि और ऐसे समितियों द्वारा निर्वहन किए जानेवाले कर्तव्य और कार्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाए।

२१. महाराष्ट्र राज्य में कला शिक्षा को बढावा देने के लिये किसी योजना के संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किन्ही प्रयोजनों के लिये बोर्ड की स्थापना के पूर्व, राज्य सरकार या विद्यमान कला निदेशक से यां के लिये, बनाए गए उपगत सभी दायित्व, किये गये सभी करार और किये जाने के लिये जुड़े सभी मामले और बातें बोर्ड से या के लिये उपगत, में प्रविष्ट या किये जाने के लिए जुडी समझी जायेगी और तद्नुसार, किये गये सभी दावे, या वाद या विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित की जायेगी जो राज्य सरकार या, यथास्थिति, विद्यमान निदेशालय द्वारा या के विरूद्ध स्थापित किया जा सकेगा । बोर्ड ने जिसके लिए यह अधिनियम प्रयुक्त किया है के मामले के संबंध में सरकार के दायित्वों को ग्रहण करेगा।

२२. बोर्ड का एक निदेशक होगा । सरकार, बोर्ड के निदेशक के रूप में, संयुक्त निदेशक, कला निदेशक को नियुक्ति करेगा । निदेशक की नियुक्ति ।

बोर्ड के निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्य।

२३. (१) बोर्ड के निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम के उपबन्ध और तद्धीन निर्मित विनियम और उप-विधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(२) निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि, सरकार और शासी परिषद द्वारा जारी निदेशनों का कड़ाई से अनुपालन हो रहा है या, यथास्थिति, कार्यान्वित की जा रही है।

(३) जहाँ कोई मामला विनियमों या उप-विधियों द्वारा विनियमित किया जाना आवश्यक है, परन्तु उस निमित कोई विनियम या उप-विधियाँ इस निमित्त बनायी नहीं है तो निदेशक तत्समय के लिये, जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे निदेशन जारी करके मामले विनियमित कर सकेगा, और तत्पश्चात, सर्वप्रथम अवसर अगली बैठक में अनुमोदन के लिये समक्ष रखेगा :

परन्तु, ऐसे निदेशन के जारी होने के छह महीनों के भीतर विनियमों या, यथास्थित, उप-विधियों में रूपांतरित होगा, न होने पर जो ऐसे निदेशन अपने आप रद्द हो जायेंगे, परंतु उसके द्वारा की गयी कार्यवाही को प्रभावी नहीं करेंगे।

(४) उप-धारा (१) और (२) के अधीन तात्पर्यीत कर्तव्यों के प्रयोजन के लिये निदेशक जैसा वह उचित समझे सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी की सहायता कर सकेगा।

(५) ऐसी आपात स्थिति में, जिसमे बोर्ड के निदेशक की राय में सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, निदेशक ऐसी कार्यवाही करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और तत्पश्चात् अपनी कार्यवाही कि रिपोर्ट अगली बैठक में बोर्ड को देगा।

(६) निदेशक ऐसी, अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि विहित किया जाये।

सचिव, अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति,शक्ति तथा कर्तव्य।

२४. (१) सरकार, बोर्ड की सिफारिश पर जैसा आवश्यक समझे बोर्ड की प्रशासकीय और तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की ऐसी संख्या नियुक्त करेगी ।

(२) इस प्रकार नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के निदेशक द्वारा क्रमशः उनमें समनुदेशित है ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कर्तव्यों अनुपालन करेगा ।

(३) बोर्ड का एक सचिव होगा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(४) अध्यक्ष के नियंत्रण के अध्यधीन, बोर्ड के सचिव बोर्ड का कार्यपालक अधिकारी होगा और बोर्ड के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पति अभिरक्षा में होगी और बोर्ड के अधीन तत्समय के लिये सेवारत सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी उसके अधिनस्त होंगे ।

(५) अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन सचिव निम्न शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का अनुपालन करेगा अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों द्वारा समय-समय से अनुमोदित उप-विधियों और विनियमों की पुस्तिका तैयार करेगा और अध्यतन रखेगा ।

(ख) बोर्ड के प्राधिकरण और समितियों के निर्णयों के अध्यधीन बोर्ड की ओर से करारों में विनिर्दिष्ट करणे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

(ग) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित ऐसी अन्य शक्तियाँ का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा या निदेशक द्वारा समय-समय से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे समनुदेशित करेगा ।

अध्याय चार

अनुमति, संबद्धन, स्वायत्तता, स्थिती और समानता प्रदान करना ।

२५. (१) कला शिक्षा प्रदान करने संस्थान का प्रबंधन बोर्ड द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीति में संबंद्धन देने के लिये बोर्ड को आवेदन करेगा । संस्था का संबंद्धन।

(२) संबद्धन के लिये आवेदन करनेवाला प्रबंधन उनका अनु पालन करेंगे, और वह निम्न वचन देगे

(क) अधिनियम और उसके अध्यधीन विनियमों के उपबंध तथा बोर्ड के स्थायी आदेशों और निदेशों का अनुपालन किया जाये ;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये भर्ती किए गये छात्रों की संख्या, बोर्ड और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित सीमा से अधिक नहीं होगी ;

(ग) अध्ययन और अनुसंधान के लिये अपेक्षित उचित और पर्याप्त भौतिक सुविधायें जैसे भवन, वर्कशाप, ग्रंथालय, किताबें, अध्यापन के लिये आवश्यक उपकरण और अनुसंधान, छात्रावास, व्यायामशाला हो, जिसे कि विहित किया जाये ;

(घ) संस्था के वित्तिय स्त्रोत ऐसे होंगे ताकि उसके रखरखाव और कामकाज को जारी रखने के लिये उचित उपबंध किया जाये ;

(ङ) संबद्ध मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द की संख्या और अर्हताएँ और संबद्ध संस्थाओं के कर्मचारिवृन्द के पारिश्रमिक और सेवा निबंधन और शर्तें, ऐसी होंगी, जिसे विनियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाये और जो अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्यापन या प्राशिक्षण या अनुसंधान को सुचारूरूपेण करने के लिये, सम्यक् उपबंध करने के लिए पर्याप्त हों ;

(च) सभी अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारियों की सेवाएँ और सम्बद्धतः पानेवाली संस्था की सुविधाएँ सुलभ करायी जानी चाहिये ताकि परिक्षाओं का संचालन और मूल्यांकण और बोर्ड की अन्य गतिविधियो को बढ़ावा दिया जा सके ;

(छ) इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अधीन, उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड के अध्यक्ष या निदेशक और अन्य अधिकारियों के निर्देश और आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ;

(ज) सरकार और समुचित विनियामक प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, प्रबंधन में कोई परिवर्तन या अंतरण नहीं किया जायेगा ;

(झ) सरकार और विनियमक प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, संस्था बंद नहीं की जायेगी ;

(ञ) धारा ३२ या, यथास्थिति, धारा ३६ के अधीन कला महाविद्यालय या संस्था के असंबद्धन या मान्यता वापस लेने या बन्द करने के समय, भवन और उपस्कर समेत, संस्था की समस्त अस्तियाँ जो कि सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में अदा की गई रकम में से सन्निर्मित या बनाई गई समझी गई है, सरकार में निहित की जायेगी।

(३) सरकार, कला निदेशक या कोई अन्य विनियामक प्राधिकरण जिस प्रबंधन या कला संस्था या परिसंस्था को मान्यता दी है वह इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक को एक वर्ष की अवधि के भीतर उपयुक्त उप-धारा (१) और (२) और धारा २७ के अधीन उपबंध की गयी रीति में बोर्ड को संबंद्धता के लिये आवेदन करेगा, ऐसा करने में विफल होने पर ऐसे प्रबंधन या, यथास्थिति, कला संस्थान का अनुमोदन रद्द हुआ समझा जायेगा :

परन्तु, प्रबंधन या, यथास्थिति, संस्थान जिसका अनुमोदन रद्द हुआ है तो किन्ही पाठ्यक्रमों पर नए छात्रों के प्रवेश के लिये पात्र नहीं होंगे :

परन्तु और यह भी कि, ऐसा प्रबंधन या यथास्थिति, संस्थान के अनुमोदन का रद्दकरण से जिस पाठ्यक्रम को छात्रों को प्रवेश दिया है उस अंतिम बॅच के पूरे होने तक किसी रीति में विद्यमान छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।

(४) अन्य प्राधिकरण, बोर्ड या विश्वविद्यालय संस्था का एक भाग है तो जब तक संबंध्दता के लिये अनाफ्ती प्रमाणपत्र प्राधिकरण बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा दिया नहीं जाता तब तक नहीं दी जायेगी :

परन्तु बोर्ड या सरकार से ऐसी संस्थान में प्रवेश लिये गये छात्रों द्वारा चाहे किसी भी स्वरूप की वित्तीय सहायता का दावा नाहीं करेंगे और बोर्ड या सरकार ऐसे छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिये पात्र नहीं होगा ।

अनुज्ञा के लिये प्रक्रिया।

२६. (१) नवीन संस्था खोलने के लिये अनुज्ञा चहानेवाले प्रबन्धक प्रत्येक अकादमिक कॅलेन्डर के अनुसार प्रत्येक अकादमिक वर्ष के लिये बोर्ड द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार, बोर्ड के सचिव को जैसा कि विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी प्रक्रिया फीस के साथ विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(२) उप-धारा (३) के अधीन अनुसूची में घोषित समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदनों बोर्ड द्वारा संवीक्षा की जायेगी और उक्त अनुसूची में यथा उल्लिखित आवेदनों के प्रस्तुती के अंतिम पैंतालीस दिनों के भीतर सरकार को अग्रेषित करेगी।

(३) बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये आवेदनों में से सरकार ऐसी संस्था को बोर्ड से की गयी सिफारिश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अनुज्ञा अनुदत्त कर सकेगी जैसा वह सरकारी बजट स्रोतों, नवीन संस्था खोलने की अनुज्ञा चहानेवाले प्रबंधमंडल की उपयुक्तता और कला शिक्षा संस्थान के स्थान के संबंध में राज्य स्तर की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्णत: विवेकाधीन सहि और उचित समझे। राज्य सरकार से ऐसा अनुमोदन बोर्ड को संसूचित किया जायेगा। अकादमिक वर्ष के प्रारम्भन के पश्चात् अनुदत्त अनुमोदन तदनंतर अकादमिक वर्ष में केवल बोर्ड द्वारा दिया जायेगा :

परंतु, फिर भी, असाधारण मामलों में, और लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए, नवीन कला शिक्षा संस्था शुरू करने के लिए, बोर्ड द्वारा सिफारिश न किया गया कोई आवेदन सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(४) नवीन कला शिक्षा संस्था शुरु करने के लिऐ अनुमति देने के लिये सरकार द्वारा सीधे आवेदन ग्रहन नहीं किया जायेगा ।

(५) इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नवीन पाठ्यक्रम खोलने, अतिरिक्त संकाय, नवीन विषय, अतिरिक्त डिविजन, नाम बदलने और स्थान बदलने की मंजूरी के लिये यथा आवश्यक परिवर्तन समेत लागु होगी।

सबद्ध किये जाने के लिये प्रक्रिया।

२७. (१) धारा २६ के अधीन राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त होने पर, बोर्ड, नवीन संस्था शुरू करने या नवीन संस्था शुरू करने के सरकारी आदेश द्वारा अपनायी जानेवाली समुचित विनियमाक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए उप-धारा (२) में दी गई विहित प्रक्रिया आपनाकर और क्या संस्था द्वारा अनुबद्ध शर्त पूरी की है या नहीं और किस सीमा तक पूरी की गई है, ईस पर विचार करने के बाद, नवीन संस्था को प्रथम संबद्धन किये जाना मंजूर करने के लिये, विचार करेगा। इस बारे में, बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

(२) संबद्ध किये जाने की मंजुरी के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनार्थ, बोर्ड अपने द्वारा, ईस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा जांच करवायेगा।

(३) बोर्ड विनिश्चय करेगा,—

(क) संबद्ध किया जाना मंजूर या नामंजूर किया जाये या न किया जाये ;

(ख) संबंद्ध पूर्णत: या अंशत: अनुदत्त किया जाये या न किया जाये ;

(ग) अध्ययन के विषय, पाठ्यक्रम, इसमें सम्मिलित किये जाने वाले छात्रो की संख्या ;

(घ) ऐसा संबद्ध मंजूर करने के लिए विहित की जानेवाली फीस समेत वह शर्तें, यदि कोई हो, जो मंजूरी देते समय या मंजूरी देने के लिये नियत की गई है।

(४) उप-धारा (२) के अधीन गठित समिति के सदस्य सचिव, कला शिक्षा निदेशक की प्रति सहित संबंधित संस्था के प्रबंधमंडल को बोर्ड का विनिश्चय संसूचित करेगा, और यदि संबद्धन के लिए आवेदन को—

(क) संबद्ध के लिए अनुमोदित अध्ययन के विषय और पाठ्यक्रम ;

(ख) सम्मिलित किये जानेवाले छात्रों की संख्या ;

(ग) वह शर्तें, यदि कोई हों, जिसे पूरा करने के अध्यधीन, अनुमोदन प्रदान किया गया है ;

(५) संस्था द्वारा छात्रों को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक पहलीं बार संबद्धन बोर्ड संस्था द्वारा अनुदत्त नहीं किया गया है।

(६) उप-धारा (१) से (४) तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया **यथावश्यक परिवर्तन सहित** समय-समय पर, सम्बद्धन जारी रहने के विचार से लागू होगी।

सम्बद्धता जारी रहना।

२८. सम्बद्ध संस्था, अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए, जिसके लिये सम्बद्धता के अवसान के पूर्व सामान्यतः छह माह पूर्व सम्बद्धता अनुदत्त की गई है सम्बद्धता जारी रहने के लिए आवेदन कर सकेगा। बोर्ड संबद्धता अनुदत्त करने के लिये, जहाँ तक लागू है, धारा २५, २६ और २७ में विहित प्रक्रिया को अपनायेगा।

सम्बद्धता का विस्तार।

२९. सम्बद्ध संस्था अतिरिक्त अध्ययन पाठ्यक्रम के लिये सम्बद्धता के लिये विस्तार कर सकेगी। बोर्ड संम्बद्धता अनुदत्त करने के लिए जहाँ तक लागू हो इस धारा २५, २६ और २७ में यथा विहित प्रक्रिया को अपनायेगी और जहाँ तक उसे लागू होगी।

स्थायी सम्बद्धन और मान्यता है।

३०. संस्था सम्बद्ध संस्था के रूप में कम से कम छह वर्ष स्थायित्व के साथ, स्थायी सम्बद्धता के लिये आवेदन कर सकेगी। बोर्ड के आवेदन पर विचार और छानबीन करेगा और उसका समाधान होनेपर कि, सम्बद्धत संस्था ने सम्बद्धन की समस्त शर्तों को पूरा किया है और तो बोर्ड द्वारा, समय-समय पर विहित उच्च अकादमिक और प्रशासकीय स्तर को हासिल किया है, तो बोर्ड, ऐसी संस्था को स्थायी सम्बद्धन प्रदान करेगा।

संस्था का निरीक्षण और रिपोर्ट।

३१. (१) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था ऐसी रिपोर्ट, विवरणी और अन्य विवरण जुटायेगी, जिसे कि बोर्ड, संस्था के अकादमिक स्तर और अकादमिक प्रशासन के स्तर का निर्णय लेने में उसे सक्षम बनानें के लिये आवश्यक समझता है।

(२) निदेशक, प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त एक या अधिक, समिति द्वारा, कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार, निरीक्षण करवायेगा।

सम्बद्धता का या प्रत्याहरण और मान्यता।

३२. (१) यदि सम्बद्ध संस्था इस धारा २५ में यथा उपबंधित सम्बद्धन की शर्तों के अनुपालन में, विफल रही है तो बोर्ड, सम्बद्धता द्वारा संस्था पर प्रदत्त विशेषाधिकारों को अंशतः या पूर्णतः प्रत्याहृत करने या रुपभेदित करने का कारण दर्शाती सूचना, प्रबंधकवर्ग को जारी करेगी।

(२) बोर्ड उपरोल्लिखित कार्यवाही करने के प्रयोजन के आधार का उल्लेख करेगा और संस्था के प्रधानाचार्य या प्रमुख को सूचना की प्रतिलिपी भेजेगा। यह भी सूचना में विनिर्दिष्ट करेगा, जिसकी अवधि ऐसी होगी जो पंद्रह दिनों से कम, नहीं होगीं। जिसके भीतर, प्रबंध मंडल सूचना के उत्तर में अपना लिखित वक्तव्य फाईल करेगा।

(३) ऐसा लिखित बयान प्राप्त होने पर, या उप-धारा (१) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, बोर्ड, यदि कोई हो ऐसे विशेषाधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिये, कार्यवाही करेगा।

(४) बोर्ड, संस्था में अध्ययनरत छात्रों के अकादमिक हित के बारे में सम्बद्धता का निलम्बन या प्रत्याहरण इस निमित्त की जानेवाली या कोई अन्य यथोचित कार्यवाही, सरकार को सुझावित करेगा और सरकार, उसके पश्चात सुझावों के कार्यान्वयन के लिये, अग्रसर होगी।

स्वायत्त हैसियत प्रदान करना।

३३. (१) मान्यताप्राप्त कला संस्था, जो अपने आपको स्वायत्त हैसियत के योग्य मानते है, वे बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में जिस वर्ष से स्वायत्त हैसियत अनुप्रयुक्त उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के ३१ अगस्त को या से पूर्व बोर्ड के सचिव के पास आवेदन करेंगे।

(२) सचिव, अकादमिक समिति के समक्ष आवेदन रखेगा और समिति आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा करेगी तथा उपरोल्लिखित मानकों के संदर्भ में यह निर्णय लेगी कि आवेदन पर विचार करने का **प्रथम दृष्ट्या** मामला है

अथवा नहीं ; यदि अकादमिक समिति यह निर्णय लेती है कि प्रथम दृष्ट्या मामला है तो उसे कला संस्था के प्रधानाचार्य, कर्मचारी और छात्रों से विचार विमर्श के जरिए भी स्थानीय जाँच कराई जायेगी चाहिए।

(३) स्थानीय जाँच, मानकों के अनुसार मद्दों पर होगी और संस्था न्यूनतम आवश्यक वृद्धि और पर्याप्त वित्तिय क्षमता, आदि सुनिश्चित है मानको आदि के अनुसार सुविधायों है अथवा नहीं तथा जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ समिति विशिष्ट और अतिरिक्त जानकारी लेगी।

(४) बोर्ड के सचिव, आवेदन और आवेदन की संवीक्षा और स्थानीय जाँच पर अकादमिक समिति की रिपोर्ट, बोर्ड के समक्ष उसकी बैठक में रखेगा जो अपने प्रस्ताव को अभिलिखित करेगा कि यह रिपोर्ट स्वीकृत की जाए अथवा नहीं। यदि बोर्ड, बहुमत द्वारा या सर्वसमति से आवेदन और ऐसी रिपोर्ट को रद्द करता है और यह निर्णय लेता है कि स्वायत्त हैसियत प्रदान करने हेतू सिफारिश न की जाए तो वह इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।यदि बोर्ड, आवेदन को मंजूरी देने का प्रस्ताव करता है और स्वायत्त हैसियत प्रदान करने की सिफारिश करता है, तो वह उस प्रभाव का प्रस्ताव अभिलिखित करेगा और ऐसी शर्तों को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अध्यधीन स्वायत्त हैसियत प्रदत्त की जाएगी।

(५) बोर्ड का सचिव, प्रस्ताव और बोर्ड द्वारा विनिश्चित किये जानेवाले ऐसे अन्य अभिलेखो की प्रति समेत बोर्ड की ऐसी सिफारिशों उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के शासन सचिव को एक माह के अवधि के भीतर अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी।

(६) आवेदक कला संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करने के लिये, सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर, बोर्ड का सचिव, लिखित रूप में उसे संबंधित कला या संस्थान को शतों सहित, यदि कोई हो, सूचित करेगा।

(७) स्वायत्तता प्रदान न करने के मामले में भी, संबंधित या कला संस्था को संसूचित किया जाएगा।

(८) उप-धाराऐं (१) से (७) तक की प्रक्रिया, स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, आवेदन की प्राप्ति के अंतिम दिनांक से दस माह से भीतर पूरी की जाए।

(९) स्वायत्तता पर, समय-समय पर, विनियामक प्राधिकरण, द्वारा उपबंधित कोई मार्गदर्शक तत्व, नियम, विनियम आदि स्वायत्तता पाने की इच्छुक कला संस्थान को और ऐसी कला संस्था को लागू होगे जिन्हें स्वायत्तता पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

स्वायत्त स्थिति का प्रत्याहरण।

३४. (१) बोर्ड शिकायत पर या **स्वप्रेरणा** से जाँच करने के पश्चात् उसका यह समाधान होता है कि धारा २५ उपबंधों का अनुपालन करने के लिये स्वायतता प्रदान करनेवाली संस्था असफल होती है तो संस्था की स्वायत स्थिति का प्रत्याहरण करने के लिये सरकार को सिफारिश करेगी और उसपर सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा :

परन्तु बोर्ड स्वायतता स्थिति का प्रत्याहरण करने के लिये तब तक सरकार को सिफारिश नहीं करेगी जबतक संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जायेगा।

(२) बोर्ड संस्था के स्वायत्त स्थिति का प्रत्याहरण करने की बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर सरकार ऐसी संस्था के स्वायतता स्थिति का प्रत्याहरण करेगी इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

समतुल्यता और योग्यता।

३५. (१) स्वायत्तता दिए गए संस्थान को, बोर्ड से, उनके पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों लिए समतुल्यता पाना आवश्यक होगा।

(२) स्वायत्त संस्थान, समय समय पर, बोर्ड द्वारा, उनके पाठ्यक्रम, अध्यापन और परीक्षा योजना हेतु अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(३) बोर्ड, ऐसी स्वायत्त संस्थान का तीन वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा।

(४) बोर्ड स्वायत्त संस्थान के सभी अकादमिक और परीक्षा से संबंधित क्रियाकलापों पर जैसे पाठ्यक्रम, अध्यापन, परीक्षा योजना, अध्यापन के घंटे, अकादमिक कार्यक्रम परीक्षा में उपस्थित रहने की उम्मेदवारो की योग्यता आदि पर नियंत्रण रखेगा।

(५) स्वायत्तता स्थिति अनुदत की गयी संस्था निर्धारण करने, परिणाम घोषित करने (कार्यान्वयन) करेगी और विभिन्न कार्यक्रमों के लिये संयुक्त प्रमाणपत्र या डिप्लोमा के पुरस्कार के लिये बोर्ड को सिफारिश करेगी।

(६) स्वायत्त कला संस्था के शासी निकाय और अन्य समितियोंके ऐसी समितियों पर, बोर्ड के प्रतिनिधि भी होंगे।

(७) बोर्ड, शिक्षा या नियोजन के प्रयोजन के लिये संस्था को अनुदत्त किसी डिप्लोमा, स्थातकोत्तर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संवीक्षा के आधारपर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाहर या भारत के बाहर स्थित किसी समतुल्य को समतुल्यता प्रदान करेगा।

(८) बोर्ड, जहाँ भी आवश्यक हो, किसी डिप्लोमा, स्नातक डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या भारत के भीतर या बाहर स्थित किसी समतुल्य बोर्ड, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा प्राधिकरण से बोर्ड द्वारा, लिये जानेवाले किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए समतुल्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(९) बोर्ड, किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को दी गई समतुल्यता के आधार पर, योग्यता प्रमान पत्र जारी करेगा।

संस्था को बंद करना।

३६. (१) संस्थान के किसी प्रबंध मंडल को, सरकार के पुर्वानुमोदन के बगैर संस्थान को और अन्य विनियामक प्राधिकरण को जिसे संस्था शुरू करने का अनुमोदन दिया गया है संस्था को बंद करने की अनुमति नहीं होगी।

(२) किसी संस्थान को बंद करने के इच्छुक प्रबंध मंडल बंद के कारणों का पूर्ण आधारों को कथित करते हुए, बोर्ड या यथास्थिति, समुचित विनियामक प्राधिकरण घोषित अनुसूची के अनुसार बोर्ड को आवेदन करेगा और सरकार द्वारा या लोक निधि अंधिकरण से इस प्रकार प्राप्त भवन और साज-सामान की अस्तियाँ मूल लागत, अभिभावी बाजार मूल्य और अनुदान का निर्देशित करेगा।

परन्तु, असहायताप्राप्त संस्थान का प्रबंधक शपथ-पत्र पर यह वचन भी देगा कि, अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द को देय परिलब्धियों समेत संस्थान या पाठ्यक्रमो के बंद होने से उत्पन्न होनेवाली परिलब्धियाँ पूरी तरह से प्रबंध की होगी।

(३) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड यह निर्धारित और अवधारित करने के लिए कि संस्थान को बन्दी की अनुज्ञा दी जाये या न दी जाये, जाँच करवायेगा :

परन्तु, बन्द करने के लिये आवेदन जब तक प्रबंधमंडल को सुनवाई का अवसर नहीं देती है तब तक अस्वीकृत नहीं करेगी।

(४) यदि बोर्ड बन्द किये जाने के सिफारिश करने का विनिश्चय करता है तो वह, सरकार या अन्य लोकनिधिकरण अभिकरण द्वारा उपलब्ध की गई निधि का उपयोग करके बनाई गयी कोई अस्तियाँ, सरकार या अन्य प्रबन्ध वर्ग को हस्तांतरित की गई है या नहीं की गई है और छ्टनी किये गये अध्याय कों और कर्मचारीयों को प्रतिकर की अदायगी पर रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार या, यथास्थिति, समुचित प्राधिकरण को सौंपेगा।

(५) यदि बोर्ड, संबद्धन संस्थान को बन्द किये जाने की सिफारिश करती है और बन्द किये जाने की पूर्वानुमति विनियामक प्राधिकरण द्वारा दी जाती है जिससे संस्थान शुरू करने के लिये अनुमोदन किया गया है तो सरकार बन्द करने का आदेश जारी कर सकेगी :

(६) बंद करने की चरण बद्ध प्रक्रिया बोर्ड द्वारा जैसा विहित किया जाए ऐसी होगी ।

(७) बन्द किये जाने को चरणों में प्रभावी किया जायेगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्था में पहले से सम्मिलित किये गये छात्र प्रभावित न हो, और प्रथम वर्ष को पहले बन्द किया जाये और कोई नया प्रवेश नहीं दिया जायेगा। चरणो में बन्द किये जाने की प्रक्रिया, ऐसी होगी सरकार या कोई द्वारा जैसा कि विहित किया जाये।

(८) इस धारा में दी गई प्रक्रिया बोर्ड से सहबद्ध पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों के बंद करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन समेत लागू होगी ।

संस्था के प्रबंध मंडल के बदल या अन्तरण।

३७. (१) संस्थान के प्रबंधमंडल के बदल या अन्तरण के लिये सरकार की अनुज्ञा चाहनेवाला प्रबंधमंडल बोडं या यथास्थिति, विनियामक प्राधिकरण द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप में बोर्ड या यथास्थिति विनियामक प्राधिकरण द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार बोर्ड के सचिव को आवेदन कर सकेगा ।

(२) अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन बोर्ड द्वारा संवेक्षित किये जायेंगे और उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सरकार और विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जायेगा।

(३) सरकार, ऐसी संस्था को अनुमति दे सकेगी जो कि वह अनुमति चहानेवाला प्रबंधमंडल की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर अपने पूर्व विवेक से सही और उचित समझ सके।

अध्याय पाँच

निधि, वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा।

बोर्ड की आस्तियों का इस्तेमाल।

३८. बोर्ड में निहित समस्त सम्पत्ति, निधि और अन्य अस्तियाँ धारण की जायेंगी और इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन और प्रयोजन के लिए, उसके द्वारा प्रयुक्त की जायेंगी।

बोर्ड निधि, उसकी अभिरक्षा और निवेशन।

३९. (१) बोर्ड की अपनी निधि होगी और निम्न रकमें उसमें जमा की जायेगी :—

(क) शास्तियों सहित बोर्ड द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस, स्वामिस्व और प्रभार ;

(ख) सरकार द्वारा उसे दिये गये अनुदान, समनुदेशन, अंशदान और ऋण, यदि कोई हो ;

(ग) वसीयत, दान और विन्यास या अन्य अंशदान, यदि कोई हो ;

(घ) उसमें निहित किन्ही प्रतिभूतियों पर, व्याज और विक्रय आगम ;

(ड़) उसमें निहित संपत्ति से समस्त किराया और लाभ ;

(च) बोर्ड द्वारा या तन्निमित प्राप्त अन्य धनराशि।

(२) बोर्ड भारतीय रिजर्व बँक अधिनियम, १९३४ में यथा परिभाषित, भारतीय स्टेट बँक या किसी अनुसूचित बँक में जो कि बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अधीन, भारतीय रिजर्व बँक या इस निमित्त सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बँक द्वारा जारी किया गया लाइसेंस धारित किये है, के चालू या जमा खाते में, अपनी निधी में से, ऐसी रकम रखेगा जिसे विहित किया जाये और ऐसी उक्त राशि से अधिक कोई रकम का, ऐसी रीत्या विनिधान किया जायेगा जिसे कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाये।

सन् १९३४ का २।

सन् १९४९ का १०।

(३) ऐसे लेखे, बोर्ड के ऐसे अधिकारियों द्वारा, परिचालित किये जायेंगे जैसा कि इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

(४) बोर्ड के पास विद्यमान वर्ष या समग्र विधी को स्थानांतरण के पश्चात् संचित अधिशेष से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये निर्धारित निधि को जारी रखने और सृजित रखने की शक्ति होगी, जिसमें छात्र विकास गतिविधियाँ, छात्र छात्रवृत्ति, परियोजना प्रतियोगिता हँ, उद्यम ऊष्मायन और नवाचार, सिविल कार्य, कर्मचारियों का वेतन संरक्षन निधि, कौशल्य केन्द्रों की स्थापना और विकास और उष्कृष्टता केन्द्र सिमित नहीं है। जिसका निर्माण और उपयोग बोर्ड के निर्देशों के अनुसार होगा।

निधि का आम उप योजना।

४०. (१) इस अधिनियम के उपबंधो के अध्याधीन, बोर्ड की निधि का उपयोजन केवल इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषयों से आनुषंगिक प्रभारों तथा व्ययौ की अदायगी के लिये किया जायेगा; और ऐसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये, बोर्ड पर इस अधिनियम द्वारा या के अधीन शक्तियाँ प्रदत्त की गयी है :

(२) निधि की प्राप्ति और संचयन के विचार करने के पश्चात समग्र निधि में संचित अतिशेष का हिस्सा निम्न सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए समय समय पर, बोर्ड द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सम्पत्ति का विकास और बोर्ड के प्रयोजनों के लिए चल या अचल आस्तियों का अर्जन करना;

(ख) बोर्ड के लिए भवन का सन्निर्माण करना ;

(ग) मॉडल संस्थान के रूपमें सरकारी कल संस्थान के या उत्कर्षता केंद्र के प्रबंधन के लिए या संस्थान के विनिर्दिष्ट कार्यशाला के उन्नयन के लिए ।

परंतु, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया गया निधि, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत पर, समग्र निधि में के अतिशेष के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :—

परंतु आगे यह कि, ऐसे पच्चीस प्रतिशत के पचास प्रतिशत से अधिक की कोई रकम, उस वित्तीय वर्ष में एकल परियोजना पर उपयोग नही की जायेगी।

निधि का निकालना।

४१. बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक या प्रत्यय पत्र सिवाय, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के साथ इस निमित्त रजिस्ट्रीकृत इ मेल पते बँक को भेजे गए मेल के सिवाय बोर्ड की निधी में से बैंक द्वारा कोई अदायगी नहीं की जायेगी।

प्रादेशिक कार्यालयों को आबंटन।

४२. बोर्ड, प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय को, समय-समय पर, जिसे बोर्ड अवधारित करे, अपनी अधिकारिता के अंतर्गत जो इस अधिनियम से असंगत नहीं है, कार्यों या विकास योजनाओं को पूर्ण करने के लिये, बोर्ड द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वसन करने हेतू धनराशि अदा करेगा।

वार्षिक बजट प्राक्कलन तैयार करना।

४३. (१) बोर्ड, ऐसे दिनांक से पूर्व और ऐसी रीत्या, जैसा कि विहित किया जाये अगले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा।

(२) बोर्ड, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट दिनांक को या के बाद, अपने द्वारा तैयार किये गये बजट प्राक्कलन पर विचार करेगा और अपने द्वारा यथा अनुमोदित प्राक्कलन शासी परिषद को, प्रस्तुत करेगा और आगे सरकार को उसकी मंजूरी के लिए अग्रेषित करेगा। सरकार, बजट प्राक्कलन के संदर्भ में, ऐसे आदेश पारित करेगी, जैसा कि वह उचित समझे और उसे बोर्ड को संसूचित करेगी। बोर्ड ऐसे, आदेशों को प्रभावी करेगा।

वार्षिक लेखा और लेखापरीक्षा।

४४. (१) बोर्ड, यथाविहित ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से लेखा रखेगा जैसा की विहित किया जाए।

(२) बोर्ड का लेखा, बोर्ड द्वारा शासी परिषद की पूर्वानुमति से नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किया जायेगा।

(३) सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, बोर्ड के लेखा की संपरीक्षा के लिए विशेष लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

(४) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, विशेष लेखापरीक्षक, अपनी रपट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि शासी परिषद को अग्रेषित करेगा।

(५) उप-धारा (२) या (३) के अधीन लेखापरीक्षा का खर्च, यदि कोई हो, बोर्ड, द्वारा वहन किया जायेगा।

निरीक्षण और जाँच।

४५. (१) राज्य सरकार, जैसा कि वह बोर्ड को निदेशन दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा बोर्ड से संबद्ध तथा उसे प्रत्यायित किसी डिप्लोमा स्तर की कला संस्थान के ऐसे किसी कला संस्थान द्वारा चलाई जा रही शिक्षा या अन्य कार्य से संबंधित भवनों, छात्रावास, कार्यशाला, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और उपस्कर और बोर्ड की ओर से ली जानेवाली किसी परीक्षा के संचालन का निरीक्षण करवाने, और बोर्ड से संबंधित किसी विषय के बारे में, उसीप्रकार की जाँच कराने का अधिकार होगा। सरकार, प्रत्येक प्रकरण में, निरीक्षण या जाँच करवाने के अपने आशय की उचित सूचना देगी और बोर्ड, को प्रतिनिधी नियुक्त करने का हक होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(२) सरकार, बोर्ड, को निरीक्षण या जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपने मत संसूचित करेगी और उस पर बोर्ड की राय अभिनिश्चित करने के बाद, उसे ली जानेवाली कार्यवाही के बारे में, परामर्श देगी और ऐसी कार्यवाही की समय-सीमा नियत करेगी।

(३) संबंधित बोर्ड, निरीक्षण या जाँच के परिणामों पर, उसके द्वारा की गई या दे किये जाने के लिये प्रस्तावित यदि कोई हो, कार्यवाही की रिपोर्ट, सरकार को देगा। ऐसी रिपोर्ट उस पर बोर्ड की राय सहित, ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि सरकार निदेश।

(४) जहाँ बोर्ड, नियत समय के भीतर, सरकार के समाधानपर्यंत कार्यवाही नहीं करता है, सरकार, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार, करने के बाद, विदेश जारी करेगी जिसे वह उचित समझे, और बोर्ड, ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी, विवरणी आदि.।

४६. (१) बोर्ड, सरकार की, ऐसा रिपोर्ट, विवरणी और विवरण देगा, जैसा कि सरकार द्वारा अपेक्षित हों, और उसके कार्य से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में ऐसी और जानकारी, जैसा कि सरकार माँग करे, देगा ।

(२) राज्य सरकार दी गई ऐसी किसी रिपोर्ट, विवरणों या विवरण या जानकारी पर विचार करने के बाद इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश देगा, जो कि आवश्यक हो, और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

फीस नियतन समिति

४७. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड से मान्यताप्राप्त और सहबद्ध असहायता प्राप्त निजी कला शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जलाए जानेवाले प्रत्येकी डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा के परिदान की वास्तविक लागत काम करने के लिए एक फीस नियतन समिति गठित करेगी । सरकार, ऐसे आदेश में फीस नियतन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पारिश्रमिक और अन्य संदेय भत्ते, पदावधि और सेवा की शर्ते विनिर्दिष्ट करेगी ।

सन् २०१५ का महा. २८।

(२) महाराष्ट्र असहायताप्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश और फीसका विनियमन) अधिनियम, २०१५ की धारा १४ और १५ में उपबंधित फीस विनियमन प्राधिकरण के कृत्य, शक्तियाँ और उसके द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया प्रत्येक ऐसी शिक्षा के परिदान की वास्तविक लागत पर काम करते समय उप-धारा (१) के अधीन गठित फीस नियतन समिति द्वारा **यथावश्यक परिवर्तन समेत** अपनाई जायेगी ।

अध्याय छह

अनुपूरक और विविध उपबंध।

निदेश जारी करने की सरकार की शक्ति।

४८. (१) बोर्ड द्वारा (यदि कोई हो) दी गई सलाह पर विचार करने के बाद, सरकार की धारा ८ के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयो के संबंध मे ऐसे निदेश जारी करने की शक्ति होगी, जिसे वह आवश्यक समझे। संबंधित बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(२) बोर्ड को अपने द्वारा संचालित या कृत या किये गये या संचालित किये जा रहे किए जाने के लिए आशयित या आशयित किसी बात के संदर्भ में बताने का और बोर्ड को, इस विषय में अपने विचार संसूचित करने का भी सरकार को अधिकार होगा।

(३) बोर्ड, ऐसी संसूचना मिलने पर, अपने द्वारा, यदि कोई हो, करने के लिए प्रस्तावित या की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना, सरकार को देगा और यदि वह कार्यवाही करने मे विफल रहता है तो उसका स्पष्टीकरण देगा।

(४) यदि बोर्ड, सरकार के समाधानपर्यन्त, उचित समय के भीतर कार्यवाही नहीं करता है तो सरकार, बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर, विचार करने के बाद इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी करेगी, जिसे वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशो का अनुपालन करेगा।

(५) किसी आपात काल में, जिसमें सरकार की राय में, यह अपेक्षित हो कि सद्य कार्यवाही की जाये, सरकार, बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह आवश्यक समझती और तुरन्त उसे की गई कार्यवाही की सूचना देगी।

(६) यदि सरकार की यह राय है कि, ऐसा कोई प्रस्ताव, आदेश या कार्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बोर्ड को, प्रदत्त शक्तियों से अधिक है, तो सरकार, लिखित आदेश द्वारा उसके कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए, बोर्ड के किसी प्रस्ताव या आदेश का निष्पादन निलंबित करेगी और बोर्ड द्वारा आदेशित कार्यवाही या किये जाने के लिये तात्पर्यित कार्यवाही का प्रतिषेध करेगी।

समिति को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने की रीति ।

४९. इस अधिनियम द्वारा, बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संबंधित सभी विषय, जो विनियमन द्वारा उस बोर्ड द्वारा या समिति को प्रत्यायोजित किये गये है, उस समिति को निर्दिष्ट होंगे, और बोर्ड किसी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व, प्रश्नगत विषय के बारे समिति का रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा ।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

५०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड विनियम बना सकेगा ।

(२) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्न समस्त या किन्ही विषयों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा २० के अधीन नियुक्त समितियों का गठन, शक्तियों तथा कर्तव्य ;

(ख) परीक्षाओं का विषय और पाठ्यक्रम ;

(ग) परीक्षाओं के लिये नियमित और बाह्य अभ्यर्थियों के प्रवेश को शासित करनेवाले सामान्य प्रतिबंध और पात्रता, उपस्थिति, अवधि और चरित्र संबंधी विशेष प्रतिबंध, जिसके पूरा करने पर, कोई अभ्यर्थि प्रवेश पाने और ऐसी किन्हीं परीक्षा में बैठने का हकदार होगा ;

(घ) किसी विषय में उर्तीर्ण होनें के लिये अपेक्षित अंक और संपूर्ण परीक्षा और किसी विषय में छूट, श्रेयांक और विशेष उपाधियाँ ;

(ङ) परीक्षाओं में प्रवेश के लिये फीस और इन परीक्षाओं से संबंधित अन्य विषयों के बारें में, देय अन्य फीस और प्रभार ;

(च) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और परिणामों का प्रकाशन ;

(छ) परीक्षाओं की नियुक्ति, उनकी परीक्षाओं के संबंध में शक्तियों तथा कर्तव्य और उनका परिश्रमिक और अदायगी की पद्धति ;

(ज) परीक्षाओं की अर्हताएं, तथा अनर्हताएँ ;

(झ) प्रमाणपत्रों का देना ;

(ञ) बोर्ड के वित्त का सभी बारे में, नियंत्रण, प्रशासन, सुरक्षा, अभिरक्षा और प्रबंधन ;

(ट) वह दिनांक जिससे पूर्व और वह रिति जिसके अनुसार बोर्ड अपना बजट प्राक्कलन तैयार करेगा ;

(ठ) बोर्ड और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्यों द्वारा लिया जानेवाला क्षतिपूर्ति भत्ता ;

(ड़) सरकार तथा अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त संस्थान या कला महाविद्यालय द्वारा सुचारू परीक्षा के संचालन के लिये अधिकारियों और कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना ;

(ढ़) अन्य कोई विषय जिसे इस अधिनियम के अधीन विहित किया जायेगा या विहित किया जा सकेगा ।

प्रथम विनियम।

५१. (१) धारा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम विनियम सरकार द्वारा बनाए जायेंगे और वे बोर्ड द्वारा नए विनियम सम्यक बनाए जाने तक प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

(२) यदि किसी समय सरकार को यह प्रतित हो कि धारा ५० में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में नया विनियम बनाना और निर्दिष्ट किसी विनियम में रूपभेद करना या पूर्णतया या अंशतः निरसन करना इष्टकर है, तो सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के बाद और **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसे कोई विनियम बनायेगी या ऐसे किसी विनियम की रूपभेदित या निरसित किये गये विनियम, ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे, जिसे सरकार ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे या ऐसा कोई दिनांक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया, है, तो **राजपत्र** में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे दिनांक के पूर्व कृत कोई बात या करने से विलुप्त किसी बात को छोडकर के बारे में प्रभावी होंगे ।

उप-विधिय बनाने की बोर्ड की शक्ति।

५२. निम्न समस्त या किन्ही विषयों का उपबंध करने के लिए, बोर्ड इस अधिनियम से संगत उप-विधियाँ बना सकेगी, अर्थात् :–

(क) शासी परिषद और बोर्ड और उसकी द्वारा नियुक्त समितियों की बैठकों में अपनायी जावेनाली प्रक्रिया और ऐसी बैठकों में गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) शासी परिषद और बोर्ड और उसकी समितियों से पूर्णतया संबंधित कोई अन्य विषय जिनका कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है ।

संदेह के निराकरण के मामले में निर्वचन।

५३. इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्ही विनियमों या उप-विधियों के उपबंधों के निर्वचन के बारे में, यदि, कोई प्रश्न उठता है, नो यह विषय, सरकार के निर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जा सकेगा और उस सुरत में भी सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा यदि बोर्ड के तीन से अनन सदस्य ऐसी अपेक्षा करते है । सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

कला शिक्षा संस्थाओं और डिप्लोमा स्तर के संस्थाओं का कर्तव्य और उनसे सहायता।

५४. सभी मान्यताप्राप्त और स्वायत डिप्लोमा स्तर, के कला शिक्षा संस्था, संस्था बोर्ड को ऐसी मदत और सहायता देंगे जिसे बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पावन और कृत्यों के निर्वहन के लिये अपेक्षा करें ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

५५. इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक कृत या किऐ जाने के लिये अशायित किसी बात के होते हुए भी सरकार शासी परिषद बोर्ड या सरकार के किसी सदस्य या अधिकारी, या कर्मचारी के कोई व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जायेगी ।

शासी परिषद और बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी लोकसेवक होंगे।

५६. शासी परिषद और बोर्ड के सभी सदस्य और अधिकारी, इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिये आशायित है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक होंगे । सन् १८६० का ४५।

अनधिकृत संस्थाए और पाठ्यक्रम।

५७. (१) यदि कोई डिप्लोमा स्तर कला संस्थान बोर्ड द्वारा भी सहबद्ध या मान्यताप्राप्त नही है या डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नही है तो ऐसे डिप्लोमा स्तर कला संस्थान या डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम महाराष्ट्र कृषि, पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चतर तकनीकि और व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत में अनधिकृत संस्था और अनधिकृत पाठ्यक्रम (प्रतिषेध) अधिनियम, २०१३ की धारा २ के खण्ड (प) के अधीन यथा अनधिकृत संस्था समझी जायेगी । सन् २०१३ का महा. २०।

(२) उक्त अधिनियम के उपबंध ऐसे अनधिकृत डिप्लोमा स्तर कला संस्था और डिप्लोमा स्तर की अनधिकृत कला शिक्षा को लागू होंगे ।

५८. (१) इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हों **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकार प्रतीत हो : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

परंतू, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के दिनांक से दो वर्षो की अवधी के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

अनुसूची क

प्रदेश

[धारा २ (१) देखिये]

प्रदेश	क्षेत्र
(१) छत्रपती संभाजी नगर	. . छत्रपती संभाजी नगर, अहमदनगर, बीड, धुले, जलगांव, जालना, लातूर, नान्देड, हिंगोली, नासिक, धाराशिव, नंदुरबार और परभणी।
(२) मुंबई	. . कोल्हापूर, मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, थाने और पालघर।
(३) नागपुर	. . अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वासिम, नागपुर, वर्धा, यवतमाल और गोंदिया।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

शिक्षा में वृध्दि, नियोजन के लिए प्रति स्पर्धा, विश्व में प्रौद्योगिकी में शीघ्र परिवर्तन, उद्योगों के जरूरत की प्रतिपूर्ति के कारण और कलाकारी में उद्यमिसंस्कृति के विकास के कारण डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा विनियमित करना आवश्यक हुआ है। बिते कुछ वर्षो में, कला शिक्षा में, विभिन्न पाठ्यक्रमों में बढोत्तरी हुई है। तथापि, डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा में, गुणवत्ता, दर्जा और एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक हुआ है।

२. महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, १९९७ (सन् १९९७ का महा. ३८) महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर तकनीकी शिक्षा से संबंधित मामले विनयमित करने के लिए राज्य बोर्ड की स्थापना करने के लिये उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उसी तर्ज पर, कला संस्था और उसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों की सहबध्दता से संबंधित, महाराष्ट्र राज्य में डिप्लोमा स्तर की कला शिक्षा से संबंधित मामले विनियमित करने के लिए राज्य बोर्ड की स्थापना और निगमन करने का उपबंध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए एक नया विधि अधिनियमित करना प्रस्तावित है।

३. विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(क) डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा से संबंधित मामले नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए शासी परिषद, शिखर निकाय की स्थापना करना ;

(ख) कला संस्था और उसमें अध्ययन किए जानेवाले पाठ्यक्रमों को सहबध्दता अनुदत्त करने के लिए डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा से संबंधित मामले विनियमित करने के लिए एक निगमित निकाय महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड की स्थापना करना ;

(ग) कला शिक्षा के प्रादेशिक बोर्ड के लिए उपबंध करना ;

(घ) ज्ञान का प्रसार करने, सृजित करने, परिरक्षित करने और अध्ययन, अनुसंधान, विस्तार और सेवा द्वारा अनुकूलन समेत बोर्ड के उद्देश्य विस्तार में विनिर्दिष्ट करना ;

(ङ) बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्यों जैसे कि, शासी परिषद और सरकार को डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा से संबंधित नीति मामलों पर सलाह देने, डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा के एकरूप मानकों को बनाए रखना, उद्योग और संस्था आंतरक्रिया को बढ़ावा देना, उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति प्रदान करने में सलाह देने, विनिर्दिष्ट करना ;

(च) कला शिक्षा में प्रदानगी करने वाली संस्था और कला शिक्षा में पाठ्यक्रमों की प्रदानगी करनेवाली संस्था को सहबध्दता अनुदत्त करना और सहबध्द संस्था पर स्वायत्तता दर्जा प्रदान करने के लिए बोर्ड के पाठ्यक्रमों की समतुल्यता और उम्मीदवारों की पात्रता विनिश्चित करना ;

(छ) बोर्ड के निधि का गठन, उसकी अभिरक्षा और निवेशन करने के लिए उपबंध करना ;

(ज) राज्य सरकार द्वारा फीस नियतन समिति के गठन के लिए उपबंध करना ;

(झ) यह उपबंध करना कि, बोर्ड द्वारा सहबध्द न हुए या मान्यताप्राप्त न हुए किसी डिप्लोमा स्तर कला संस्था **साथ ही साथ** बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त न हुए डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा के पाठ्यक्रम, महाराष्ट्र कृषि पशुपालन और मत्स्यविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उच्चस्तर, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (प्रतिवेध) महाराष्ट्र अनधिकृत संस्थाओं और अध्ययन के अनधिकृत पाठ्यक्रम समझे जायेंगे।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

नागपूर,
दिनांकित १४ दिसंबर, २०२३ ।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्म प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १(२).—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तमान में लाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

खण्ड ३.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा शासी परिषद की स्थापना करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५.—इस खण्ड के अधीन, सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा बोर्ड की स्थापना करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७(२).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, परीक्षा का आयोजन करने और डिप्लोमा तथा अन्य अकादमिक विशेष उपाधियाँ या पदनाम प्रदान करने की रीति विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८.—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को,—

(क) उप-खण्ड (ग) के अधीन, कर्मचारिवृंद भवन, फर्निचर, उपस्कर, लेखन-सामग्री और डिप्लोमा स्तर कला संस्था के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं के संबंध में, मानक आवश्यकताओं को विहित करना तथा विनियमित करना ;

(ख) उप-खण्ड (ड़) के अधीन, नियमित उम्मीदवार को परीक्षा के प्रवेशों के लिए और पात्रता, उपस्थिति, सम्मिलित कार्य से संबंधित प्रशासन करने की भी सामान्य शर्तें विहित करना ;

(ग) उप-खण्ड (त्र) के अधिन नियत, माँग और प्राप्त फीस तथा शास्तियों को विहित करना ;

(घ) उप-खण्ड (भ) के अधीन परीक्षा, सहबध्दता, प्रत्यायन, स्वायत्तता और समतुल्यता प्रदान करने के लिए नियत, माँग और प्राप्त फीस विहित करना।

खण्ड ९(३).—इस खण्ड के अधीन बोर्ड को, बोर्ड के सदस्यों को संदेय क्षतिपूर्ति विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २०(३).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, विभिन्न समितियों के सदस्यों की पदावधि, उनके द्वारा निर्वहन किए जानेवाले कर्तव्यो और कृत्यों विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २३(६).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, बोर्ड के निदेशक की शक्तियाँ और कर्तव्यों को विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २४(५)(ग).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, बोर्ड के सचिव द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्तियाँ और अनुपालन किए जानेवाले कर्तव्यों को विनियमों द्वारा विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २५.—इस खण्ड के अधीन बोर्ड को,—

(क) उप-खण्ड (१) के अधीन, सहबध्दता अनुदत्त करने के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति विहित करने ;

(ख) उप-खण्ड (२)(ग) के अधीन, शारीरिक सुविधाएँ और अध्यापन और अनुसंधान के लिए आवश्यक उपस्कर विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २६(१).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, नई संस्था शुरू करने के लिए अनुमति माँगने के प्ररूप विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४३(१).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, बोर्ड की आय और व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करने की रीति, विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४४(१).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, बोर्ड का लेखा रखने का प्ररूप और रीति विहित करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५०(१).—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, इस अधिनियम के प्रयोजनों का कार्यान्वयन करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५१.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा,—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए प्रथम विनियम, जो बोर्ड द्वारा नए विनियम यथावत बनाए जाने तक प्रवर्तन में जारी रहेंगे, बनाने की शक्ति प्रदान की गई है ;

(ख) बोर्ड के नए विनियम या नए विनियम का या तो संपूर्णतः या अंशतः उपांतरण या निरसन करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५२.—इस खण्ड के अधीन, बोर्ड को, बैठक में और उसकी गणपूर्ति पर समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया करने से संबंधित मामले तथा इस अधिनियम और विनियमों द्वारा या के अधीन के लिए उपबंधित न किए गए बोर्ड से संबंधित कोई अन्य मामलों के लिए इस अधिनियम से अनुरूप उपविधि बनाने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५८.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कोई कठिनाई का निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।

वित्तीय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में कला संस्थान और उसमें अध्ययन के पाठ्यक्रमों के सहबध्दता से संबंधित, राज्य में डिप्लोमा स्तर कला शिक्षा से संबंधित मामले विनियमित करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करती है। विधेयक का खण्ड २४, सरकार द्वारा जैसा कि आवश्यक हो, बोर्ड के लिए प्रशासकीय और तकनीकी अधिकारियों और कर्मवारीवृंद की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है।

विधेयक, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में उसकी अधिनियमिती पर बोर्ड के लिए नियुक्त किए जानेवाले प्रशासकीय और तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारीवृंद का वेतन और अन्य व्ययों की अदायगी के ज़रिए राज्य की समेकित निधि में से तीन वर्ष के लिए प्रति वर्ष दो करोड, तेईस लाख, तेईस हजार पाँच सौ चौसठ रूपयों का आवर्ती व्यय शामिल होगा।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश कि प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षा बोर्ड विधेयक ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित १५ दिसंबर, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) कार्यभार
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.